Section 105: ¹[Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority]

- (1) The Authority or the Appellate Authority ²[or the National Appellate Authority] shall, for the purpose of exercising its powers regarding
 - (a) discovery and inspection;
 - (b) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (c) issuing commissions and compelling production of books of account and other records,

have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure,1908 (5 of 1908).

(2) The Authority or the Appellate Authority ³[or the National Appellate Authority] shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195, but not for the purposes of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and every proceeding before the Authority or the Appellate Authority ⁴[or the National Appellate Authority] shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Substituted for heading "Powers of Authority and Appellate Authority." by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

² Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

³ Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

⁴ Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

धारा 105 : ¹[प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां]

- (1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण ²[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] को निम्निलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,—
 - (क) खोज और निरीक्षण;
 - (ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;
 - (ग) कमीशन जारी करने और लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने।
- (2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण, ³[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण ⁴[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

² वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

³ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

⁴ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।